



Notification No. 1288
1288

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 193]

नई दिल्ली, बुधस्वप्तिवार, अप्रैल 15, 1976/चैत्र 26, 1898

No. 193]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 1976/CHAITRA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA

WEALTH-TAX

New Delhi, the 15th April 1976

S.O. 304(E).—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S.O. 267(E), dated the 31st March, 1976, published at pages 743 to 745 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-Section (ii), dated the 31st March, 1976,—

(1) at page 743,—

(i) in line 4, for "31st March 1976", read "31st March, 1976";

(ii) in line 12, for "after Chapter V, the following Chapter shall be inserted namely:—", read "after rule 4, the following rules shall be inserted, namely:—";

(iii) omit lines 13 and 14;

(iv) in line 15, for "22A", read "4A";

(2) at page 744,—

(i) in line 3, for "22B", read "4B";

(ii) in line 12, for "the figures letter", read "the figures, letter";

(iii) in line 13, for "'/18(1)", read "'/18A(1)";

- (iv) in line 20, for "22A", read "4A";
 (v) in line 40, for "permitted", read "permitting";
 (3) at page 745, in line 5, for "challan", read "chalan".

[No. 1287/F. No. 142(14)/76-TPL]

O. P. BHARDWAJ, S

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

शुद्धि-पत्र

घन-कर

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1976

का० आ० 305 (अ).—भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में 31 मार्च, 1976 को पृष्ठ 745 से 746/1 तक पर प्रकाशित, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधि-सूचना सं० 267 (अ) में,—

(1) पृष्ठ 745 पर,—

- (i) 19वीं और 11वीं पंक्ति में, "अध्याय के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाएगा" वाक्यांश के स्थान पर "नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे" वाक्यांश पढ़िए ;
 (ii) 12वीं और 13वीं पंक्ति का लोप कीजिए ;
 (iii) 14वीं पंक्ति में "22क" के स्थान पर "4क" और "धारा 22क" के स्थान पर "धारा 22ग" पढ़िए ; और
 (iv) 19वीं पंक्ति में "22ख" के स्थान पर "4ख" पढ़िए और "दत्ते" के स्थान पर "दत्ते" पढ़िए ;

(2) पृष्ठ 746 पर,—

- (i) 12वीं पंक्ति में "22क" के स्थान पर "4क" पढ़िए ;
 (ii) 13वीं पंक्ति में "घन-कर अधिनियम 1957" के स्थान पर "घन-कर अधिनियम, 1957" और "22क" के स्थान पर "22ग" पढ़िए ;
 (iii) 23वीं पंक्ति में से "/कार्यवाहियां" तथा "/जिनसे" चिन्हों और शब्दों का लोप कीजिए ;
 (iv) 27वीं पंक्ति में से "/कार्यवाहियां" और "/है" चिन्हों और शब्दों का लोप कीजिए ; और
 (v) 33वीं पंक्ति में "+9" के स्थान पर "+8" पढ़िए ;

(3) पृष्ठ 746/1 पर,—

- (i) पंक्ति 2 में "आवेदन" के स्थान पर "आवेदक" पढ़िए ;
 (ii) पंक्ति 3 में "सही" के स्थान पर "सही" पढ़िए ;

(iii) पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िए, अर्थात् :—

“आज 19.....के.....मास के.....
दिन सत्यापित” ;

(iv) 10वीं पंक्ति में “प्रतियां” के स्थान पर “प्रतियों” पढ़िए ;

(v) 13वीं पंक्ति में “चलान” के स्थान पर “चालान” पढ़िए ;

(vi) 15वीं पंक्ति में “पराक्रम्य” के स्थान पर “परक्राम्य” पढ़िए ; और

(vii) 19वीं पंक्ति में “आवेदन” के स्थान पर “आवेदक” पढ़िए ।

[सं० 1288/सा० सं० 142(14)/76-टी०पी०एल०]

श्री० पी० भारद्वाज, सचिव ।